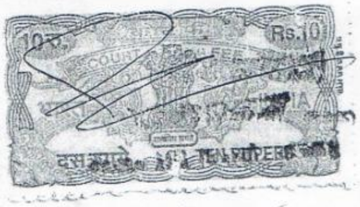

1/10-

[illegible]

[illegible]

4602

6.00

10=

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

निगरानी सं0: 68/.../2011

1- विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर बरडीहा द्वारा जगदीश प्रसाद पाण्डेय प्रबन्धक मौजा बरडीहा टप्पा पछियारी परगना हवेली, तहसील हाटा जनपद कुशीनगर

2- जगदीश प्रसाद) पुत्रगण स्वामीनाथ) नि0मौजा बड़हरा, टप्पा-
3- राघव प्रसाद)) पछियारी, परगना हवेली
4- मु0 कौशल्या पत्नी परमानन्द) तहसील हाटा,
) जनपद- कुशीनगर

--- बनाम ----

1- लेखपाल रिपोर्ट ग्राम बरडीहा टप्पा पछियारी, परगना हवेली, तहसील- हाटा जिला कुशीनगर द्वारा सरकार

उ0प्र0 सरकार जरिये कलेक्टर साहब कुशीनगर

amended vide order 8/5/13

निगरानी अन्तर्गत धारा 219 भू0रा0 अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी हाटा जनपद कुशीनगर दिनांक 24-9-2010 अन्तर्गत धारा 33/39 भू0रा0अधिनियम वाद सं0 32 लेखपाल रिपोर्ट बनाम विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर बरडीहा मौजा बरडीहा टप्पा पछियारी, परगना हवेली, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर

13-5-13

[illegible] 13-5-13 [illegible]

न्यायालय अपर आयुक्त (प्रशासन), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

निगरानी संख्या 41/68/बे- 2011

विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर बरडीहा व अन्य ———बनाम——— लेखपाल रिपोर्ट व अन्य ।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी उप जिलाधिकारी, हाटा जनपद कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-9-2010, जो वाद संख्या 32 लेखपाल रिपोर्ट बनाम विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर बरडीहा अन्तर्गत धारा 33/39 भू0रा0अधि0 बाबत मौजा बरडीहा तप्पा पड़खौरी परगना हवेली तहसील हाटा जनपद कुशीनगर के विरुद्ध योजित की गयी है ।

पत्रावली प्रस्तुत हुई । पक्षों द्वारा लिखित बहस दाखिल की गयी । निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि आराजी नं0 9 क्षेत्रफल 1.372 है0 तथा आराजी नं0 8 रकबा 1.247 है0 हम निगरानीकर्ता के नाम से जो एक शैक्षणिक संस्था है, के हक में न्यायालय तहसीलदार हाटा जनपद कुशीनगर के आदेश दिनांक 20-7-2004 से दर्ज चली आ रही है । उक्त आदेश तहसीलदार हाटा द्वारा दिनांक 20-7-04 से गाटा संख्या 8 को लिखित कास्तकारान जगदीश प्रसाद पाण्डेय व राघव प्रसाद पाण्डेय के द्वारा विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय जगदीशपुर-बरडीहा के नाम दान कर दिया गया है और कालान्तर में आ0नं0 9 भी इसी प्रकार विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय जगदीशपुर बरडीहा के नाम से संस्था द्वारा अन्तरित कर दिया गया है । वह आदेश तहसीलदार दिनांक 20-7-04 आज भी यथावत है । आराजी नं0-8 जगदीश प्रसाद पाण्डेय व राघव प्रसाद पाण्डेय पुत्रगण स्वामीनाथ पाण्डेय एवं आराजी नं0 9 पूर्व से ही विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से अंकित थी जिसमें आराजी नं0 8 भी लिखित कास्तकारान जगदीश प्रसाद पाण्डेय व राघव प्रसाद पाण्डेय पुत्रगण स्वामीनाथ पाण्डेय के द्वारा विद्यालय के नाम अन्तरित कर दी गयी । फलस्वरूप निगरानीकर्ता विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार हाटा जनपद कुशीनगर के आदेश दिनांक 20-7-04 से इन्द्राज विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम अंकित रहा है । उक्त इन्द्राज दिनांक 20-7-04 के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया एवं प्राविधानों की अवहेलना करते हुए लेखपाल के रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 24-9-10 के द्वारा निगरानीकर्ता के नाम से वर्तमान इन्द्राज बाबत आराजी संख्या 8 व 9 निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है तथा यह आदेश पारित करने के पूर्व निगरानीकर्ता को कोई नोटिस एवं सम्मन न तो निर्गत किया गया और न तामिल हुआ और न ही सुनवाई का अपना पक्ष रखने का सम्यक एवं समुचित अवसर ही प्रदान किया गया । साथ ही तहसीलदार हाटा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-7-04 से हम निगरानीकर्ता के पक्ष में इन्द्राज जो कायम हुआ है, उसके विरुद्ध कोई निगरानी/अपील नहीं हुई, जो अन्तिम है । निगरानीकर्ता का यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 24-9-10 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अवहेलना करके पारित किया गया है । जिसके समर्थन में निगरानीकर्ता द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर0डी0 2005 (98) पृष्ठ संख्या 158 के पैरा-63 को उद्धृत करते हुए उस पर विश्वास व्यक्त किया गया है इसी के साथ उनके द्वारा आर0एस0टी0 2010 (1) पृष्ठ संख्या 80 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आर0एस0टी0 2009 पृष्ठ संख्या 783 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं पृष्ठ संख्या 789 को भी उद्धृत किया गया है जिसमें यह विधि व्यवस्था है कि नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया आदेश मान्य नहीं किया जा

-2

13/5/13

सकता तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित आदेश मान्य नहीं हो सकता है । पुन: आर0डी0 2010§2§ पृष्ठ संख्या 401 पर भी यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित है । सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया आदेश बने रहने योग्य नहीं है । निगरानीकर्ता द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24-9-2010 विधि एवं नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध होने के कारण आदेश दिनांक 24-9-2010 निरस्त करने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने पर बल दिया गया है ।

विपक्षी के तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता §राजस्व§ ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24-9-2010 तथ्यों पर आधारित है तथा निगरानी निरस्त की जाय ।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि विद्यालय का नाम विवादित भूमि पर सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज है । जब कोई इन्द्राज किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से दर्ज हो तो उसी पत्रावली में कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रश्नगत आदेश दिनांक 24-9-10 से स्पष्ट है कि बिना निगरानीकर्ता की आपत्ति साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है । निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में बल है । अत: निगरानी ग्राह्यता के विन्दु पर ही स्वीकार होने योग्य है ।

आदेश

अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राह्यता के विन्दु पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-9-10 निरस्त किया जाता है । आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सर्वप्रथम धारा 33/39 के वाद की पोषणीयता एवं बाद§ गुणदोष पर आपत्ति साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किये जाय । बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक 13 मई, 2013

13/5/13
§मनमोहन चौधरी§
अपर आयुक्त§प्रशासन§
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

यह निर्णय सतिथि खुली न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित ।

दिनांक 13 मई, 2013

13/5/13
§मनमोहन चौधरी§
अपर आयुक्त§प्रशासन§
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

सुरक्ष = प्रतिलिपि

17/8/13
सरिश्तेदार
आयुक्त कार्यालय
गोरखपुर

17/8/13

नजरी नक्शा बावत विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय
जगदीशपुर, बरडीहा, जनपद कुशीनगर

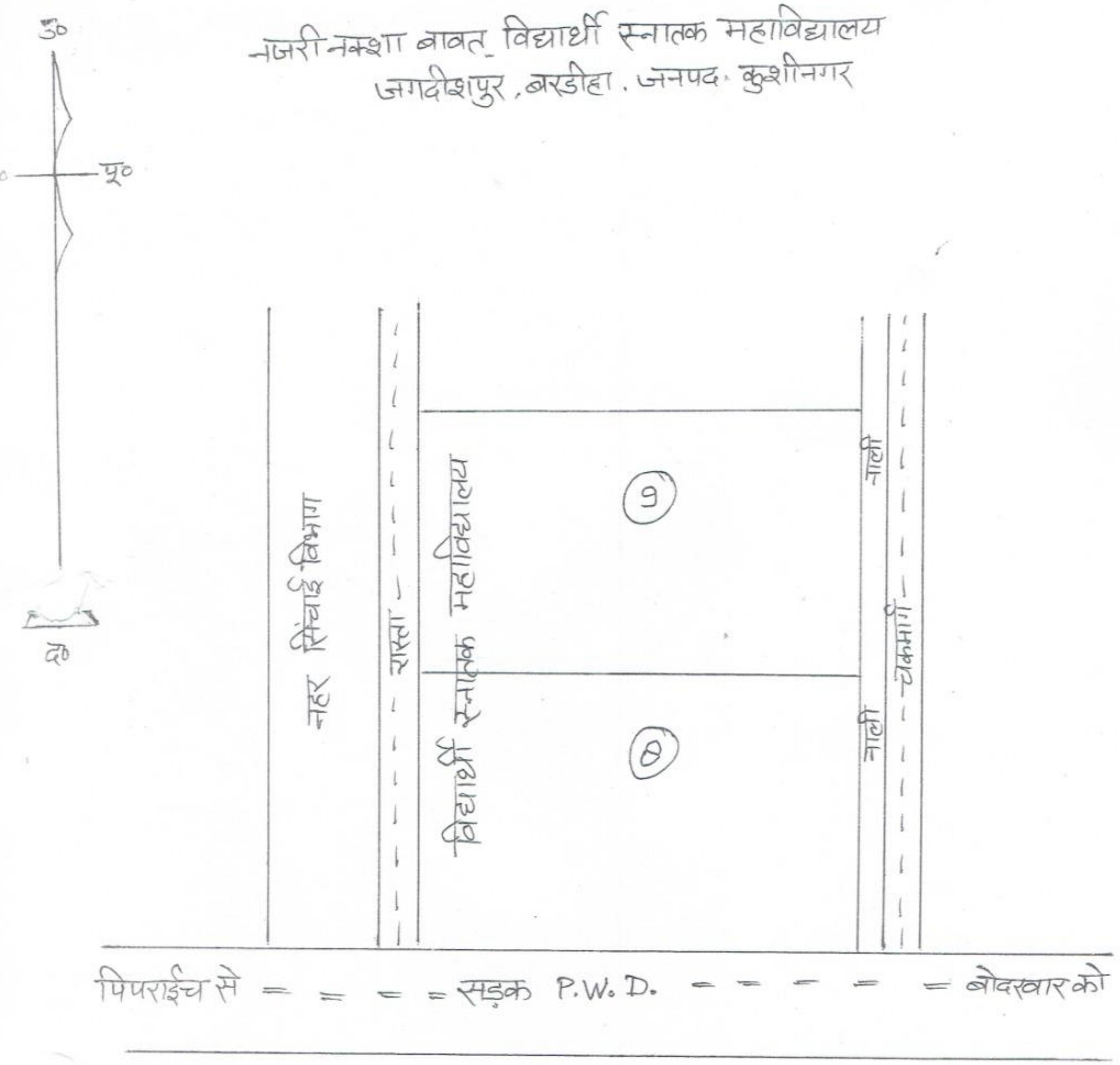

05/04/2018

06/04/18
रा०नि० बोदरवार

एस०एल० पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक
जगदीशपुर-कुशीनगर

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर

कार्यालय तहसीलदार
रा० लि०
कप्तानगंज-कुशीनगर (उ० प्र०)

महोदय,

प्रार्थी प्राचार्य विद्यार्थी ~~स्ना~~ स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदीशपुर बरडीहा कुशीनगर के प्रार्थना पत्र का जाँच किया गया। जो संलग्न नोटरी बयान हल्फी के अनुसार ग्राम - बरडीहा, तप्पा - पड़खोरी, परगना - हवेली, तहसील - कप्तानगंज जनपद - कुशीनगर के गाटा सं० - 08 व 09 दोनो नम्बरों में महाविद्यालय का भवन व प्रांगण स्थित है तथा दोनो नम्बरान आपस में सटे हुए और पास-पास हैं। संलग्न नोटरी बयान हल्फी के अनुसार कुल 2.523 हे० भूमि हिस्सा है। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संलग्न उद्धरण खतौनी पर अंकित आदेशानुसार सरकारी अभिलेख के मुताबिक रिपोर्ट लेखपाल बनाम विद्यार्थी उ० मा० वि० जगदीशपुर बरडीहा वाद सं० 32/24-9-10 (1418 फ०) आदेश हुआ कि ग्राम बरडीहा के खतौनी सन् 1411-1416 फ० के खाता सं० 272 के आ० नं० 9/1.372 से वर्तमान इन्द्राज खारिज करके आ० नं० - 9/.372 हे० नवीन परती के खाते में दर्ज हो तथा खाता सं० 57 के आ० नं० 08/1.247 हे० के स्थान पर आ० नं० - 08/.247 हे० पूर्व का इन्द्राज बदस्तूर दर्ज होने सम्बन्धी आदेश पारित हैं। जिसके मुताबिक हिस्सा 0.247 हे० बनता है। परन्तु उसके पश्चात न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन गोरखपुर मण्डल नि० सं० - 41/68 के०/2011/ 13/5/13 विद्यार्थी उच्चतम मा० विद्यालय जगदीशपुर बरडीहा बनाम रिपोर्ट लेखपाल आदेश हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-09-10 निरस्त किया जाता है। इसके पश्चात 1422 फ० आदेश तह० हाटा वाद सं० - टी 20150544024 77/04-02-15 राघव प्रसाद बनाम विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय आदेश हुआ कि ग्रा० - बरडीहा, तप्पा - पड़खोरी, परगना - हवेली, तह० - हाटा कुशीनगर के आ० सं० - 08/1.247 से मात्र 24 डी० जैसा कि समझौता पत्र में दर्शाया गया है से प्रतिवादी विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय का नाम निरस्त कर वादी राघव प्रसाद पुत्र स्वामीनाथ नि० - बड़हरा का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया जाता है। के मुताबिक संलग्न नोटरी बयान हल्फी के अनुसार कुल 2.523 हे० भूमि हिस्सा हो रहा है। नजरी नक्शा संलग्न है। गाटा सं० 8 की भूमि श्रेणी 1 क की है तथा गाटा सं० 9 की भूमि श्रेणी 6(2) (अकृषिक भूमि, स्कूल, सड़क, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती है के खाते में अंकित है)

अतः आख्या अवलोकनार्थ व उचित आदेश हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

[signature]
05/04/2018

[signature] 06/04/18
राजस्व निरीक्षक
बोदरवार
[stamp: ... पाण्डेय, राजस्व निरीक्षक, जगदीशपुर-कुशीनगर]

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर

[seal: कार्यालय तहसीलदार ... कप्तानगंज-कुशीनगर]

[signature] 13/4/18